

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को वेतन हो।

06/10/23

पत्रावली पेशा इधे बराम जायी उपर बराम
जायी न उपर हो उपर मे बराम
इधे निवेदन सिया बराम जायी के कषगत
कषाया कि कषाया तब्य 01 लमप 03,
07 लगा 10 ही लमप पूर्व मे पूर्ण हो
उगी व जिधे इधे रिपोर्ट बाद की पत्रावली
मे ललग व जिधे एकमात्र हो कषिउपम
ही युका व तथा इधे उपस्थिति हो
काफी उपर (.....) जा चुके हो उपर
इधे कषाया व इधे उपस्थित गरी

कषिउप से 6 के विमद T/L
व ही मेवी से
युनी प्राम्य
11.13.

सचिव
कषिउप

फर्द अहकाम

विमान बनाम अशोक सिंह

सदर न्यायालय
जयपुर नगर अथम
केस संख्या

ei 21/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/10/23	<p>नहीं हो रहा है कि। इनकी एकपक्षीय कार्यवाही अक्रम के लिए जारी है अर्थात् संख्या 04 लगाव 06 के विरुद्ध अस्यास निषेधाज्ञा प्राप्त में कोई अडुताप नहीं चाहे (स्थान)</p> <p>गया है तथा अर्थात् संख्या 04 लगाव 06 परिवार के सदस्य होगा बताया है बकीर अर्थात् न अर्थात्गण को वाद के निर्णय तक अस्यास निषेधाज्ञा के बाधक करने हेतु निर्देश किया तथा मौके पर निर्माण होगा एवं केचाने करने हेतु आदेश होगा बतया/करीब अर्थात् की एकपक्षीय बहल सुनी गई। अर्थात्गण की को है कोई उपन नहीं है, पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एते में की अर्थात् की बहल के आधार पर हम एक नतीजा पर पहुंच है कि आज्ञा प्यार पं 06 प्यार अ. अ. नि. कालवा तदो कालवा निगल जयपुर में स्थित राजस्थान ग्राम सुमि बसा संख्या तथा 419 व पुराना 395 के जकात 923 रकबा 0.01260 है, खन नं. 946 रकबा 0.2656 है, जकात नं 947 रकबा 2.4660 है, खन. 948 रकबा 0.6323 है, जकात 949 रकबा 1.2520 है कुल सित 05 कुल रकबा 4.6285 है।</p> <p>न अर्थात्गण को वाद के निर्णय तक मौके पर मयास्थित एवं सित विशिष्ट अ-भाग का केचाने नहीं करने हेतु पावद किया जाता है पगावली दल नम्या केचाने धीन अशोक कुमार के दफ्तर वालिक की निर्णय आज दिनांक 06/10/2023 को अज्ञा न्यायालय प्रकाशित किया गया।</p>

सदर न्यायालय
जयपुर नगर अथम